

**न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक**  
(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

98 / 2017  
07.11.2017

बीरबल पुत्र मोती जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०  
—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप  
दिनांक 14.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



स्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

**निर्णय**

दिनांक 29.11.2017

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 14.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.09 है० किस्म सिवायचक वाके ग्राम रोशनपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया है। अपीलान्ट का तथाकथित भूमि से कोई संबंध नहीं है और नही अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण कर वर्णित भूमि पर फसल काश्त की है। अपीलान्ट को सजायाब किये जाने से पूर्व साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलान्ट के विरुद्ध हल्का पटवारी द्वारा रंजिशवश रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिंग आदेश जारी नहीं किया है। अपीलान्ट ने कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ

जिला कलेक्टर  
टोंक

न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का उल्लेख किया गया है। अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोशनपुरा के खसरा नम्बर 62 रकबा 0.09 है 0 किस्म सिवायचक भूमि पर उडदं की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.09.2016 से बेदखल किया गया है। इससे सिद्ध है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मैंने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2017 द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार सोप यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबे सिंह यादव)  
जिला कलेक्टर, टोक  
टोक